रजिस्टर्ड

राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

कमांकः— एफ. 3 (ख)( ) अलेसे—।।/ 40 –48 दिनांकः—10 अप्रैल 2014

## कार्यालय आदेश

विभागीय आदेश संख्या 204/2013–14 दिनांक 21.08.2013 में क्र.सं. 01 पर अंकित श्री महेन्द्र सिंह भाटी पुत्र श्री गोपीकिशन, पुराने पावर हाउस के पीछे, सिलावटा पाडा, जैसलमेर (मेरिट नं. 134/2011, रोल नं. 402974, जन्मतिथि 05.05.1981) को लेखाकार के पद पर नियुक्ति दी जाकर खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिला जैसलमेर में दिनांक 05 सितम्बर 2013 तक कार्यग्रहण करने हेतु निर्देशित किया गया था, किन्तु श्री महेन्द्र सिंह ने नियत तिथि तक अपने पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण नहीं किया।

विभागीय आदेश कमांक 17750–55 दिनांक 11 नवम्बर 2013 द्वारा श्री भाटी को दिनांक 20 नवम्बर 2013 तक एवं पत्रांक 17976–80 दि0 05.12.2013 द्वारा दिनांक 20 दिसम्बर 2013 तथा विभागीय पत्रांक 18231–35 दिनांक 09 जनवरी 2014 द्वारा अंतिम अवसर प्रदान करने हेतु दिनांक 20 फरवरी 2014 तक आवश्यक रूप से अपने पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करने अन्यथा लेखाकार पद पर किए नियुक्ति आदेश को निरस्त किए जाने हेतु लिखा गया, किन्तु श्री भाटी द्वारा विभागीय आदेशों की पालना नहीं की गयी।

विभागीय आदेशों की अनुपालना में लेखाकार पद पर कार्यग्रहण नहीं किए जाने पर श्री महेन्द्र सिंह भाटी पुत्र श्री गोपीकिशन (मेरिट नं. 134/2011) के विभाग के आदेश संख्या 204/2013–14 दिनांक 21.08.2013 द्वारा जारी नियुक्ति आदेश एतद् द्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त किये जाते है।

(वीरबाला जोशी)
निदेशक,
कोष एवं लेखा विभाग

कमांकः— एफ. 3 (ख)( ) अलेसे—।।/ 40 –48 दिनांकः—10अप्रैल 2014

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय जैसलमेर।
4. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिला जैसलमेर।
5. श्री महेन्द्र सिंह भाटी पुत्र श्री गोपीकिशन, पुराने पावर हाउस के पीछे, सिलावटा पाडा, जैसलमेर—345001 **(रजिस्टर्ड)**
6. उपनिदेशक (एसीपी) कम्प्यूटर अनुभाग वेबसाइट पर अपलोड करने तथा पीआईएस रिकार्ड संधारण हेतु।
7. निजी सहायक, निदेशक महोदया।
8. गोपनीय शाखा
9. रक्षित पंजिका/निजी पत्रावली

(के. एम. मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक—1)